

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

प्री-पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा-2011(पी.पी.टी.-2011)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों, स्वशासी एवं शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2011-2012 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु भारतीय नागरिकों के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसका परीक्षा कार्यक्रम एवं विवरण निम्नानुसार है :-

1. **परीक्षा दिनांक** : रविवार 10, अप्रैल, 2011 (समय प्रातः 10.00 बजे से 01.15 बजे तक)
2. **आनलाइन आवेदन मरने की अवधि** : दिनांक 01.03.2011 से 22.03.2011 तक
3. **परीक्षा शहर** : बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगोन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा।

4. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक अर्हता :

- (i) उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो।
- (ii) मध्यप्रदेश के शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

नोट : निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में सामान्य पूल के लिये उपलब्ध सीटों में से प्रत्येक ब्रांच में अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी की बाध्यता नहीं रहेगी।

- (iii) सभी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (मध्यप्रदेश के मूल निवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण) होना अनिवार्य होगा।

नोट:-

- (a) ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी।
- (b) पी.पी.टी.-2011 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2010-2011 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता:-** मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in अथवा एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र दि. 01.03.11 से 22.03.11 तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रुपये 500/- एवं अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के लिये रुपये 250/- का भुगतान क्रेडिट कार्ड से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत "कियोस्क" धारक के माध्यम से नगद किया जा सकता है। रुपए 50/- कियोस्क धारक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

नोट:-

- (i) परीक्षा संबंधी संपूर्ण विवरण, परीक्षा नियम एवं ऑनलाइन आवेदन निरस्त होने के कारण की सूचना एवं रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है।
- (ii) यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतिस्पर्धा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो तो निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि ऑन लाईन आवेदन के साथ संलग्न करें।
- (iii) परीक्षा के प्रवेश पत्र (T.A.C.) मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा पूर्व उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउन लोड कर परीक्षा में सीधे सम्मिलित हो सकेंगे। मंडल द्वारा प्रवेश पत्र (T.A.C.) प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

संचालक

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल

विज्ञापन क्र: 002/2011